संख्या-21/2021/1265/22-2-2020-17(742)/2017

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 02 फरवरी, 2021**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी किशन पुत्र श्री वेदराम, निवासी जनपद-मथुरा हाल जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31014/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-08-12-2020) दिनांक-17-12-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी किशन पुत्र श्री वेदराम, सुरी नगरीया, थाना-जमुनापार, जनपद-मथुरा, हाल पता-अम्बे नगर सैलई, थाना-रामगढ़, जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। नाजायज सम्बन्धों को लेकर बन्दी ने दिनांक 19.06.2005 को रात करीब 11:00 बजे दिनेश कटारा व अपनी पत्नी की फावड़े से काट कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-574/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02-, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 23.11.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2020 तक 15 वर्ष 03 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 06 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किया जा सकने, अशक्त प्रतीत नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 19.02.2020 द्वारा बन्दी से किये गये साक्षात्कार के आधार पर समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति के आधार पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने अपनी पत्नी सुनीता से दिनेश (मृतक) के नाजायज सम्बन्धों को लेकर हुए विवाद में दिनांक 19.06.2005 को दिनेश कटारा व अपनी पत्नी सुनीता की फावड़े से काट कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अवसर होने जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्टि 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी किशन पुत्र श्री वेदराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी किशन (बन्दी संख्या-15724) पुत्र श्री वेदराम, निवासी जनपद-मथुरा हाल जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-21/2021/1265(1)/22-2-2020 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद/मथुरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-21/2021/1265/22-2-2020-17(742)/2017

दिनांक 02 फरवरी, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी किशन पुत्र श्री वेदराम, सुरी नगरीया, थाना-जमुनापार, जनपद-मथुरा, हाल पता-अम्बे नगर सैलई, थाना-रामगढ़, जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। नाजायज सम्बन्धों को लेकर बन्दी ने दिनांक 19.06.2005 को रात करीब 11:00 बजे दिनेश कटारा व अपनी पत्नी की फावड़े से काट कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-574/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02-, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 23.11.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2020 तक 15 वर्ष 03 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 06 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किया जा सकने, अशक्त प्रतीत नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 19.02.2020 द्वारा बन्दी से किये गये साक्षात्कार के आधार पर समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति के आधार पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने अपनी पत्नी सुनीता से दिनेश (मृतक) के नाजायज सम्बन्धों को लेकर हुए विवाद में दिनांक 19.06.2005 को दिनेश कटारा व अपनी पत्नी सुनीता की फावड़े से काट कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्टि 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी किशन पुत्र श्री वेदराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in